

18.12.25

फावली वेश हुई। वकील वादी या वादी
संप्र उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने
पर उपस्थित नहीं हुए। अलावा वादी का चह
वापत्र अदम पैखी-अदम हाजिरी में इसी
स्तर पर खारिज किया जाता है। फावली
बाद तरीक़ तकमील होकर शायित दफ़्त
है।

निर्णय लिखाया जाकर जुले न्यायालय
में सुनाया गया।


(प्रिया बजाज)
RAS-